# हिल (इंडिया) लिमिटेड

''पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड''

(भारत सरकार का उद्यम)

स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24362100, 24361107; फैक्स: 011-24362116, 24361363 ई-मेल: hq@hil.gov.in ;

वेबसाइट: www.hil.gov.in


---

सं0सं0: हिल/वाणिज्य/पी.क्यू/सी.बॉक्स/2018-19 दिनांक: 25.07.2018

विषय:- **रिवर्स नीलामी तथा ई-निविदा के माध्यम से, डूप्लेक्स कार्टन/डिब्बे एवं कॉरूगेटेड डिब्बों की खरीद के लिए विनिर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों की पूर्व योग्यता ।**

हिल (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) एक बहुयूनिट कंपनी जिसकी बठिंडा (पंजाब), उद्योगमंडल (केरल) और रसयानी (महाराष्ट्र) में यूनिट हैं, संलग्नक- IV के अनुसार डुप्लेक्स कार्टन/डिब्बे एवं कॉरूगेटेड डिब्बों के विभिन्न आकारों को खरीदता है । हिल इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूर्व-योग्य निर्माता/आपूर्तिकर्ता/ प्राधिकृत डीलरों की विस्तृत सूची तैयार करना चाहता है । पूर्व योग्य विक्रेता ई-टेंडरिंग और रिवर्स नीलामी के माध्यम से इन रसायनों की खरीद के लिए हिल द्वारा आमंत्रित किए जानी वाली निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे ।

पूर्व-योग्यता के लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । प्रपत्र 26.07.2018 से किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं । प्रपत्र हमारी वेबसाइट www.hil.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

विभिन्न दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.08.2018 है । किसी भी कारण से इस तिथि के पश्चात प्राप्त या अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है । झूठी/अपूर्ण जानकारी या आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा न करने से आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

हिल किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने या इस निमंत्रण को किसी भी कारण के बिना वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस मामले में हिल का निर्णय अंतिम होगा और बाद में आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा । हिल के पास उनके प्रदर्शन, सिद्ध क्षमता और किसी अन्य कारण के आधार पर विक्रेताओं को शामिल करने या हटाने की स्वतंत्रता है ।

हिल (इंडिया) लिमिटेड जमा किए गए प्रमाण-पत्रों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसे भी उचित हो ।

हिल (इंडिया) लिमिटेड आवेदन में उल्लिखित सूचनाओं/क्षमताओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए विक्रेताओं के परिसर/सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

आवेदक अपने आवेदन की तैयारी और जमा करने के संबंध में या किसी भी लागत, शुल्क या आकस्मिक व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, तथापि हिल (इंडिया) किसी भी या सभी आवेदनों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर सकता है ।

पूर्व-योग्य विक्रेताओं का पंजीकरण तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा जो हिल के विवेकाधिकार पर होगा। हालांकि, हिल को बिना किसी कारण के पूर्व-योग्य अवधि को कम करने या उनके प्रदर्शन, साबित की गई कार्यक्षमता और किसी अन्य कारण के आधार पर विक्रेताओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

आवेदन जमा करने से हिल (इंडिया) लिमिटेड में पंजीकरण की स्वत: गारंटी नहीं है ।

हिल (इंडिया) लिमिटेड को पंजीकरण दस्तावेजों में दिए गए किसी भी फॉर्म, श्रेणियों, शर्तों, प्रक्रियाओं आदि को हटाने, संशोधित करने या नाम बदलने का अधिकार सुरक्षित है ।

हिल किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने या इस निमंत्रण को किसी भी कारण के बिना वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस मामले में हिल का निर्णय अंतिम होगा और बाद में आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा । हिल के पास उनके प्रदर्शन, सिद्ध क्षमता और किसी अन्य कारण के आधार पर विक्रेताओं को शामिल करने या हटाने की स्वतंत्रता है ।

कूरियर / डाक द्वारा भेजे गए दस्तावेजों या पत्राचार के नुकसान के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

**(डॉ0 विशाल चौधरी)**
प्रभारी वाणिज्य प्रबन्धक

**<u>आपूर्तिकर्ताओं की सूची</u>**

**<u>हिल (इंडिया) लिमिटेड में आपूर्तिकर्ताओं की सूची (तीनों यूनिटों रसायनी, बठिंडा, उद्योगमंडल की ओर से )</u>**

**<u>मदों (आइटम) की सभी श्रेणी के लिए पूर्व-योग्यता:</u>**

(i) विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए विस्तृत सूचना **(संलग्नक – क)**

(ii) विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए पात्रता मानदंड **(संलग्नक – ख)**

(iii) आवेदन के साथ प्रस्तुत की  जाने वाली विस्तृत जानकारियों/दस्तावेज़ **(संलग्नक – ग)**

(iv) अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सूचना **(संलग्नक -घ)**

**संलग्नक – क**

**<u>विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए विस्तुत सूचना</u>**

पूर्व-योग्यता/पंजीकरण के लिए निर्माताओं के साथ-साथ प्राधिकृत आयातकों/डीलरों को केवल निम्नलिखित के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध:-

**डूप्लेक्स कार्टन/डिब्बे (संलग्नक I के अनुसार)**

पैकिंग के विभिन्न आकार के लिए विभिन्न आकारों में 100 से 500 जी.एस.एम. के डुप्लेक्स कार्ड बोर्ड और कोरल ड्रा में दिए गए कला कार्य। 6 से 8 से रंगों में।

**कॉरूगेटेड डिब्बे (संलग्नक II के अनुसार):**

कॉरूगेटेड डिब्बे 7 पी.एल.वाई. और 150± 2gms/m² जी.एस.एम.में होंगे

17 किलो / सेमी² की न्यूनतम बस्टिंग शक्ति के साथ वर्जिन क्राफ्ट

आंतरिक विभाजन 3 पी.एल.वाई. and 100 ± 2gms / m² जी.एस.एम. के बने हों।

चिपकाने/ पेस्टिंग के लिए केवल स्टार्च आधारित गोंद का ही उपयोग किया जाए, सिलिकेटे गोंद वाले बॉक्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे , अधिकतम जोड़ों की संख्या केवल दो को अनुमति दी जाएगी।

हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए चित्र/कला कार्य के अनुसार आपूर्ति की जानी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा के माध्यम से भागीदारी के लिए पूर्व-आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं: -

**सिस्टम आवश्यकता**

विक्रेता के पास श्रेणी-II के डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

i.) विन्डोज़ 7 व उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
ii.) आई.ई.-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र
iii.) साइनिंग टाइप डिजिटल सिगनेचर
iv.) नवीनतम अद्यतन जे.आर.ई. और (x86 ऑफलाइन) साफ्टवेयर डाउनलोड होना तथा सिस्टम में संस्थापित होना।
v.) न्यूनतम पी- IV प्रोसेसर अथवा उससे ऊपर अथवा 1 जी.बी रैम और उससे ऊपर के कंप्यूटर।
vi.) ब्रॉडबैंड स्पीड सहित इंटरनेट कनेक्शन
vii.) विन्डोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 9 और उससे ऊपर।

इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों के ) के विवरणों सहित अपनी सहमति भेजें।

अपेक्षित सूचना/दस्तावेज़ों युक्त वाले पूर्ण आवेदन निम्न पतों पर जमा किए जा सकते हैं:

**हिल (इंडिया) लिमिटेड, रसायनी, बठिंडा, उद्योगमंडल को आपूर्ति के लिए:**

**(डॉ0 विशाल चौधरी), प्रभारी प्रबन्धक वाणिज्य प्रबन्धक**
**हिल (इंडिया) लिमिटेड**
कोर-6, द्वितीय तल, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन : 011 - 24364334, 24362625, फैक्स : 24362116
ई-मेल : hilcommercialho@hotmail.com

**(संलग्नक – ख)**

**<u>विक्रेताओं की पूर्व योग्यता के लिए पात्रता मानदंड</u>**

**1.** आवेदक का वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निर्माता या अधिकृत डीलर या स्टॉकिस्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए पंजीकरण की मांग की गई है ।

**2.** आवेदक को गत 3 वर्षों के दौरान उर्वरक/पेट्रो रसायन/कीटनाशक उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग में वस्तुओं की आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है, जिनके लिए पंजीकरण की मांग की गई है ।

**3.** आवेदक को मदें, जिनके लिए पंजीकरण की मांग की गई है की गत 3 वर्षों के दौरान कीटनाशक उर्वरक/पेट्रो रसायन/ऊर्जा उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों में उनके द्वारा निष्पादित किए गए क्रय आदेशों सहित प्रदर्शन रिपोर्ट, यदि कोई हो, कि प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।

**4.** अधिकृत डीलर के मामले में - मूल निर्माताओं से वैधता के साथ प्राधिकरण की प्रति, यदि कोई हो ।

**(संलग्नक – ग)**

**<u>आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तुत जानकारियां /दस्तावेज़</u>**

**1.** आवेदक पात्रता मानदंड (संलग्नक II) के सभी 4(चार) पैरा के लिए सुविधाओं/क्षमताओं के ब्यौरे साथ-साथ विख्यात सार्वजनिक/निजी क्षेत्र संगठनों में गत तीन वषों में क्रय आदेशों और प्रदर्शन प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी सहित दस्तावेज साक्ष्य इनके संबंध में प्रस्तुत करेंगे ।

**2.** संलग्नक IV, विधिवत भरा हुआ, दोहरी प्रति में , आवेदक के अपने लेटरहेड पैड पर उनमें विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ ।

**3.** भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ''सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006'' के तहत सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत आवेदक, दिनांक 16.6.2006 की अधिसूचना के अनुसार अपने आवेदन में प्रासंगिक श्रेणी को चिन्हित करेंगे और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रासंगिक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करेंगे ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय के आदेश के संदर्भ में, सार्वजनिक खरीद नीति मार्च 2012 के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यम नियमों और शर्तों के अधीन, लाभ के हकदार होंगे, जैसा कि निम्नानुसार है:

**क)** योग्यता मापदंड (सूक्ष्म और लघु उद्यमों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विक्रेताओं के लिए)**:**

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों बोलीकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी (या सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय) से पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा:

- राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम (एन.एस.आई.सी.)
- जिला उद्यम केन्द्र (डी.आई.सी.)
- कयर बोर्ड ऑफ इंडिया
- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)
- खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.)
- हस्तशिल्प एवं हतकरघा निदेशालय

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम (अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वत्वधारी, या साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में न्यूनतम 51% शेयर धारक होना) अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित में से जारी किए गए प्रासंगिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जमा करेंगे:

- जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट । तालुका मजिस्ट्रेट । कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं
- उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहां व्यक्ति और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है ।

iii. आदेश दिए जाने की तिथि से पंजीकरण मान्य होगा। प्रासंगिक प्रमाणपत्र की एक स्वयं अनुप्रमाणित छायाप्रति समर्थन दस्तावेज़ के रूप में जमा की जाए।

iv. वस्तु/ वस्तुओं की श्रेणी/निविदा वस्तुओं/वस्तुओं की श्रेणी के लिए प्रासंगिक सेवाएं हेतु पंजीकरण होना आवाश्यक।

## ख) खरीद वरीयता (या एम.एस.ई.):

निविदाओं में, जहां एल 1 (मूल्यांकित मूल्य) बोलीदाता एक गैर-एम.एस.ई. है, निविदा मात्रा के 20% तक भाग लेने वाले एम.एस.ई. द्वारा आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि निविदा मात्रा दो या दो से अधिक ऑर्डरों में विभाजित हो और उद्देश्य के लिए पर्याप्त हो; सभी योग्यता प्राप्त बोलीकर्ता अंश-आदेश मात्रा की स्वीकृति और एल. 1 दर वाली भाग लेने वाली एम.एस.ई के लिए सहमत हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्तओं के स्वामित्व वाले एम.एस.ई. द्वारा इस 20% में से 4% हिस्सेदारी की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एम.एस.ई. में निविदा में भाग लेने में विफल होने या निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के मामले में, यह 4% उप-लक्ष्य अन्य भाग लेने वाले एम.एस.ई. द्वारा पूरा किया जाएगा। उपरोक्त इसके अधीन होगी की भाग लेने वाले एम.एस.ई. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित) बोलीकर्ता एल.1 बोली मूल्य का+15% के अंदर ही मूल्य उद्धृत करेगा तथा इसके पश्चात एल.1 मूल्य के साथ अपने उद्धृत मूल्य मिलान करने के लिए सहमत होंगे।

यदि दो या दो से अधिक एमएसई एल 1 + 15% बैंड के भीतर हैं, तो ऐसे सभी एमएसई को एल 1 दर से मिलान करने का मौका दिया जाएगा और आदेश के 20% को उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

जहां एम.एस.ई. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्वामित्व है, वहीं अन्य गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के साथ समान रूप से शेष 16% साझा करने के अतिरिक्त उन्हें उपरोक्त 20% के 4% हिस्से का हिस्सा दिया जाएगा।

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी के स्वामित्व वाला उद्यम है, तो सहायक दस्तावेजों के साथ इसकी पुष्टि भी की जाएगी ।

**संलग्नक – 4**

<u>अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए अन्य जानकारी</u>

(आवेदक के स्वयं के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

**वस्तु का नाम एवं श्रेणी सं0 जिसके लिए आवेदन किया गया है:________________________________(प्रत्येक अनुप्रयुक्त श्रेणी के लिए अलग से आवेदन करना होगा)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कंपनी/फर्म का नाम | : | |
| 2. | संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं0, फैक्स और ई-मेल सहित पंजीकृत कार्यालय का पता | : | |
| 3. | संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं0, फैक्स और ई-मेल सहित कार्यालय का पता | : | |
| 4. | स्थापना का वर्ष | : | |
| 5. | फर्म/कंपनी/संगठन की संगठनात्मक संरचना और इतिहास (संलग्न किया जाए) | : | |
| 6. | यदि विनिर्माणन फर्म/डीलर/प्राधिकृत आयातक हैं | : | |
| 7. | यदि आप विनिर्माता हैं (फैक्ट्री का स्वामित्व)<br>कृपया अपने संयंत्र का स्थान इंगित करें तथा आपके वर्कशॉप/फैक्ट्री में संस्थापित मशीनरी के प्रकार और उनकी क्षमता को इंगित करते हुए मशीनरी/उपस्कर की सूची संलग्न करें। | : | |
| 8. | यदि विनिर्माता नहीं है, कृपया विनिर्माणन यूनिट का नाम एवं पता तथा दस्तावेज़ साक्ष्यों के साथ विनिर्माणन फर्म के साथ संबंध का प्रकार इंगित करें। | : | |
| | **वाणिज्य विवरण** | | |
| 1. | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राज्य, एस.एस.आई/ एन.एस.आई.सी., ई.एस.आई., बिक्री कर प्राधिकरण/ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय आदि साझेदारी के मामले में साझेदारी विलेख की प्रति वैधानिक प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण । प्रति संलग्न करें । एम.ओ.ए. और ए.ओ.ऐ. की कंपनियों के प्रकरण में। | : | |
| 2. | प्राधिकृत डीलर/अभिकर्ता/वितरक के मामले में मालिक से प्राप्त प्राधिकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। | : | |
| 3. | क्या आपकी फर्म एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अंतर्गत आती है ?<br>यदि हाँ, पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।<br>(चाहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में हो) | : | |
| 4. | श्रमिक लाइसेंस सं0 (कृपया प्रति संलग्न करें) | : | |
| 5. | पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित वस्तु एवं सेवा कर संख्या | : | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | ई.एस.आई. प्राधिकरण द्वारा जारी ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन सं0 की प्रति | : | |
| 7. | अनुज्ञापित क्षमता | : | |
| 8. | पूँजी निवेश | : | |
| 9. | भविष्य निधि खाता सं0 (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा आवंटित पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) | : | |
| 10. | स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति संलग्न करें | : | |
| 11. | मार्च, 2018 तक समाप्त गत 3 वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन पत्र (प्रति संलग्न करें) | : | |
| 12. | बैंकरों के नाम एवं वित्तीय मजबूती के संबंध में बैंक रिपोर्ट । नवीनतम बैंक ऋण चुकाने की क्षमता (साल्वेंसी)का प्रमाण पत्र/ 6 माह का विवरण | : | |
| 13. | आवेदक स्व:अनुप्रमाणित निवल परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें | : | |
| | **तकनीकी विवरण** | | |
| 1. | संयंत्र एवं मशीनरी विवरण (प्रति संलग्न करें) | : | |
| 2. | जाँच/निरीक्षण सुविधा विवरण (प्रति संलग्न करें) | : | |
| 3. | तकनीकी जनशक्ति (सूची संलग्न करें) | : | |
| 4. | विनिर्माता की वस्तु और श्रेणी का विवरण (विवरणिका/पर्ची यदि हो तो संलग्न करें) | : | |
| 5. | समान कार्यों के लिए पिछला अनुभव (मार्च, 2018 तक समाप्त गत 3 वर्षों के लिए प्रसिद्ध ग्राहकों के लिए निष्पादित कार्य आदेश/क्रय आदेश की प्रतियां संलग्न करें ) | : | |
| 6. | सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बड़े कीटनाशक/उर्वरक/रसायन संयंत्र/निरीक्षण अभिकरण के साथ सूचीबद्ध | : | |
| 7. | प्रसिद्ध ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें) | : | |
| 8. | अनुसंधान एवं अभिकल्प सुविधा विवरण, यदि कोई (प्रति संलग्न करें) | : | |
| 9. | कृपया इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) अथवा इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के (ई.एफ.टी.) के द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दें । इस प्रयोजन हेतु आपूर्तिकर्ता को अपना बैंक खाता सं0, नाम तथा बैंक शाखा का कोड के उपलब्ध कराना अपेक्षित है । | : | |
| 10. | गत तीन वर्षों का टर्नऑवर अर्थात 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए हो । कृपया इन वर्षों के लिए तुलन पत्र की प्रति भी संलग्न करें । | : | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **अन्य विवरण** | | |
| 1. | कोई अन्य विशेष प्रशंसनीय उपलब्धि आदि  कोई अन्य विशेष प्रशंसनीय उपलब्धि आदि | : | |
| 2. | आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण  ( प्रति संलग्न करें) | : | |
| 3. | हिल(इंडिया) लि0 के कर्मचारी अथवा पूर्व-एन.एफ.एल. कर्मचारी के साथ संबंध | : | |
| 4. | यदि आपकों किसी सार्वननिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों ने काली सूचीबद्ध किया है। यदि ऐसा है, जानकारी इंगित करें। | : | |
| 5. | कृपया ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी अशर्त स्वीकृति प्रदान करें। | : | |
| 6. | विक्रेता को हिल (इंडिया) लिमिटेड के सभी अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुसरण और पालन करना होगा।<br>इससे सहमत ने होने वाले विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने पर विचार नहीं किया जाएगा। | : | |